संख्या-330/61-2024

प्रेषक,

चन्द्रशेखर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

निर्वाचन अनुभाग **लखनऊ : दिनॉक : 21 अगस्त, 2024**

विषय:-लोक सभा/विधान सभा/उप निर्वाचनों तथा विधान परिषद्, राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति के निर्वाचनों की चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों की निर्वाचनों के दौरान मृत्यु होने या गम्भीर रूप से घायल होनेके परिणामस्वरूप स्थायी विकलांगता की दशा में प्रदान किए जाने की जाने वाली अनुग्रह राशि (एक्सग्रेसिया) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक लोक सभा/विधान सभा/उप निर्वाचनों तथा विधान परिषद्, राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति के निर्वाचनों की चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों की निर्वाचनों के दौरान मृत्यु होने या गम्भीर रूप से घायल होने के परिणाम स्वरूप स्थायी विकलांगता की दशा में प्रदान की जाने वाली अनुग्रह राशि (एक्सग्रेसिया) के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-218/6/2022/ई०पी०एस०, दिनांक 09.03.2023 के क्रम में निर्वाचन अनुभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-402/61-2023, दिनांक 04.08.2023 का कृपया सदंर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- भारत निर्वाचन आयोग के उक्त पत्र दिनांक 09.03.2023 के क्रम में निर्वाचन अनुभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 04.08.2023 में निर्वाचन ड्यूटी में तैनात कार्मिकों की मृत्यु एवं विकलांग होने पर मामलों के विचारण की प्रक्रिया में जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक स्तर से प्रकरण व्यवहरित किये जाने की व्यवस्था थी, किन्तु मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय स्तर से इस प्रकार के प्रकरणों को व्यवहरित किये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्देश उपलब्ध नहीं थे। इसी प्रकार दस्तावेजों के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस कर्मियों /सी0ए0पी0एफ0 के मामले में जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा चुनाव ड्यूटी पर होने सम्बन्धी प्रदत्त प्रमाण-पत्र के मान्य होने की ही व्यवस्था थी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा चुनाव ड्यूटी पर होने सम्बन्धी प्रदत्त प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में आयोग के उक्त पत्र दिनांक 09.03.2023 के क्रम में निर्वाचन अनुभाग द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 04.08.2023 में कोई निर्देश उल्लिखित नहीं थे। फलतः मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या-1569/सी०ई०ओ०-3-114/3-2007, दिनांक 25.04.2024 द्वारा इस सम्बन्ध में भारत निवार्चन आयोग, नई दिल्ली से मार्गदर्शन मांगा गया।

3- इस संबंध में भारत निवार्चन आयोग, नई दिल्ली ने अपने पत्र संख्या-464/UP-HP-III/2024, दिनांक 23.05.2024 द्वारा निम्नवत निर्देश दिये हैं:-

"I am directed to refer to your letter No.1569/ सी.ई.ओ.-3-114/3-2007, dated 25th April, 2024 on the subject cited and to state that the provision for ex-gratia payment is envisaged to provide imminent relief to the personnel who sustain grievous injuries leading to permanent disability or to the next of kins of the personnel, who die in harness, in connection with election duty. In the instant case, therefore, a causal connection between the death of the deceased personnel and election duty may first be established

2. If such a causal connection is established, further examination/action regarding payment of ex-gratia payment, as provided in the Commission's consolidated instructions no. 218/6/2022/EPS. dated 09.03.2023, be initiated from the office of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh itself, as the official was posted in that office only."

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in

4- अत: भारत निर्वाचन आयोग के उक्त पत्र दिनांक 23.05.2024 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में निर्वाचन अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-402/61-2023, दिनांक 04.08.2023 के प्रस्तर-1 के उप प्रस्तर (4) को निम्नानुसार संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

मामलों के विचारण की प्रक्रिया

(क) प्रत्येक मामले में, चाहे मृतक हो या घायल/ विकलांग मुआवजे के लिए दावे की प्रक्रिया शुरू करने की जिम्मेदारी, यथास्थिति जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक अथवा मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश की होगी।

(ख) मृत्यु या चोट लगने की घटना के 10 दिनों के भीतर मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू किया जाना चाहिए एवं मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद किसी भी मामले में 10 दिनों से अधिक देरी नहीं होनी चाहिए।

(ग) (1) (i) जिला निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त प्रमाण-पत्र कि मृतक/विकलांग चुनाव ड्यूटी पर थे।

(ii) मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश से प्राप्त प्रमाण-पत्र कि मृतक/ विकलांग कार्मिक चुनाव ड्यूटी पर थे। (मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश के कार्यालय में नियुक्त/ तैनात/ सम्बद्ध सभी कार्मिकों के मामले में)।

(2) जिला पुलिस अधीक्षक से प्रमाण पत्र कि मृतक/ विकलांग कार्मिक चुनाव ड्यूटी पर थे (पुलिस कर्मियों/ CAPF के मामले में)।

(3) प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) और/ अथवा इन्क्वेस्ट 'पंचनामाँ (यदि दायर/ किया गया हो) की प्रति।

(4) मृत्यु के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की एक प्रति, यदि की गई हो।

(5) सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र की प्रति (विकलांग/ घायल कर्मियों के लिए)।

(6) कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र/ उत्तराधिकार प्रमाण पत्र केवल विवाद होने की स्थिति में।

(घ) मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा अनुग्रह धनराशि सम्बन्धी प्रकरणों का निपटारा मामले की प्राप्ति के एक महीने के भीतर अधिमानतः किया जायेगा।

5- निर्वाचन अनुभाग, उ0प्र0 शासन का उक्त शासनादेश संख्या-402/61-2023, दिनांक 04.08.2023 इस सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त शासनादेश दिनॉक 04.08.2023 में उल्लिखित शेष शर्ते यथावत बनी रहेंगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या-E-12-174-X-2024-25, दिनांक: 14-08-2024 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(चन्द्रशेखर)
विशेष सचिव।

संख्या-330(1) / 61-2024, तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली ।
2- महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी (प्रथम / द्वितीय),एवं लेखा परीक्षा, उ0प्र0, प्रयागराज ।
3- महालेखाकार, आडिट (प्रथम / द्वितीय), उ0प्र0, प्रयागराज ।
4- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन ।
5- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6- वित्तीय सलाहकार/वित्त नियंत्रक, कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-12
8- समस्त उप जिला निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ ।
9- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी उ0प्र0 द्वारा कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ ।

आज्ञा से,

(संजय प्रकाश मौर्य)
अनु सचिव।

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**

2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.gov.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**

http://shasanadesh.up.gov.in